न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी

परिवाद सं0–6549 / 2023

उदयवीर सिंह बनाम गुड्डू उर्फ ओमप्रकाश आदि

CNR No UPLP10013371-2023

<u>17.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादी की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। पत्रावली बयान परिवादी अं0ध ारा–200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है, किन्तु परिवादी की तरफ से पत्रावली पर न तो अपना बयान अं0धारा–200 दं0प्र0सं0 अंकित कराया गया है तथा न ही उसकी तरफ से किसी भी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादी विगत लम्बी अवधि से अनुप. स्थित चला आ रहा है। परिवादी को कई बार अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी परिवादी अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
17.07.2026